नगर परिषद डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2012 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित आयोग की सिफारिशो के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद डलहौजी, जिला चम्बा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः–

मनोनित प्रधानः–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री मनोज चडडा	01.04.2010 से 31.3.2012

नगर परिषद डलहौजी में कार्यकारी अधिकारी का कार्यकालः–

क्रमांक	नाम	पद	अवधि
1	श्री विनोद कुमार,	कार्यकारी अधिकारी	01.04.2010 से 11.4.2010
2	श्रीमती राखी कौशल,	कार्यकारी अधिकारी	12.4.10 से 31.3.2012

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर परिषद डलहौजी के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2012 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि
1	गृहकर जलकर, सफाई कर दुकान किराया कर लम्बित गृहकर राशि की वसूली शेष	8 (i) (ii) (iii) (iv)	1,22,45,805
2	मोबाईल कम्पनियों से टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली शेष	8 (6)	1,70,000

3	सिनेमा हाल भवन की किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8 (10) (ii)	3,58,549
4	संविदाकार को अनुचित/अनयमित भुगतान	9 (5)	14088
5	निर्माण कार्य (C/O Parking at Dalhousie) में संविदाकार को अधिक भुगतान	9 (12)	25000
6	श्री जगदीश चन्द सफाई कर्मचारी की वेतन के रूप में अनियमित भुगतान	10 (1)	163188
7	नगर परिषद में कार्यरत्त Tax attendants को वेतन के रूप में अनुचित/अनियमित भुगतान	10 (2)	125856
8	गलत वेतन निर्धारण पर श्री सुदर्शन कुमार (वन गार्ड) को अधिक भुगतान	10 (3)	63420
9	गलत वेतन निर्धारण पर श्री राजिन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक का अधिक भुगतान	10 (4)	38645

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवदेनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवदेनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "ण" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद डलहौजी, जिला चम्बा के अवधि 4/2010 से 31.03.2012 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2012 से 21.3.2013 तक के नगर परिषद के कार्यालय में सम्पन्न किया गया। जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है निम्न पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत किए गया है। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार माहों का चयन किया गया।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
1	2010—11	03/2011	03/2011
2	2011—12	04/2011	09/2011

यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद डलहौजी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई जाने वाली अनियमतताओं के लिए उतरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उतरदायित्व केवल चयनित माहों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

नगर परिषद के लेखाओं का अंकेक्षण ₹29400/— आंका गया, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्या एल0ए0डी0/चम्बा/2013/39 दिनांक 19.3.13 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—9 प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे ए0बी0आई0के बैंक ड्राफ्ट संख्या 632430 दिनांक 21.3.13 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वितीय स्थितिः—

नगर परिषद डलहौजी, जिला चम्बा अवधि 4/2010 से 3/2012 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी विस्तृत विवरण परिशिष्ट (क) में वर्णित है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2010—11	6384787.45	37131589	43516376.45	41100858	2415518.45
2011—12	2415518.45	47326849.50	49742367.95	44134872.50	5607495.45

(I) Reconciliation of General Account as on 31.3.2012

Balance as per cash Book as on 31.3.12	1119752.66
Plus: Cheque issued but not encashed	59962.00
Excess deposited	1.00
Total	1179715.66

Less: Income deposited but not creditied by bank	297690.12	
Bank Charges	1115.00	
Income on 29.1.10 deposited M Development Account	5541.00	304346.12
Balance as per Pass Book	875369.54	
Difference	Nil	

Balance as per Pass book (General Account)

Sr. No.	Bank & A/C No.	Amount
1	SBI Dalhousie A/C No. 11321778123	809315.00
2	PNB Dalhousie A/C No. 7985	27365.89
3	PNB Dalhousie A/C No. 10973	26224.10
4	Amount lying in Treasury	12456.00
	Total	875369.99

(II) Reconciliation of Development A/C as on 31.3.12

	Balance as per cash book as on 31.3.12	4486777.84
Add	(1) Cheques issued but not encashed	111821.00
	(2) Grant not accounted M cash Book	60000.00
	(3) Excess Credit Shown by Bank	2869.00
	Balance as per Pass Book	4661467.84
	Difference	Nil

Sr. No.	Bank & A/C no.	Amount
1	SBI Dalhousie A/C No. 11321778587	3259630.84
2	SBI Dalhousie A/C No. 30649599728	1401837.00
	Total	4661467.84

(III) Reconciliation of S.J.S.R.Y Account as on 31.3.12

	Closing Balance as per cash book	964.95
	Balance as per Bank SBI Dalhousie A/C No. 11321777639	964.95
	Disserance	Nil

(क) ₹11618/–बैंक द्वारा नगर परिषद के खाते में जमा न करने बारेः–

General Account के बैंक समाधान विवरणी की जांच करने पर अंकेक्षण में पाया कि चालान संख्या 327 दिनांक 31.3.06 एवं चालान संख्या 71 दिनांक 17.5.07 द्वारा क्रमशः ₹2064/–एवं ₹9554/–बैंक में जमा करवाई गई लेकिन इतनी लम्बी अवधि के पश्चात भी बैंक द्वारा इन राशियां का क्रेडिट नहीं दर्शाया गया है और न ही परिषद द्वारा इस बारे कोई प्रयास किये गये अतः यह प्रकरण बैंक के साथ प्राथमिकता से उठाया जाए व उक्त राशि को नगर परिषद के खाते में शीध्र जमा करना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) ₹111821/–के चैक निर्गमित करने बारेः–

परिषद के Development Account की बैंक समाधान विवरणी की जांच करने पर लेखा परीक्षा में पाया कि वर्ष 2008–09 में चैक संख्या 430884 दिनांक 21.7.08 ₹2906, चैक संख्या 430890 दिनांक 07.08.08 ₹23415/–एवं चैक संख्या 430891 दिनांक 21.8.08 ₹85500/–निर्गमित किए गये थे लेकिन 4½ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी अभी तक यह चैक बैंक के पास भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। चैक की वैधता निर्गमन से 6 माह तक की होती है। अतः यह सभी चैक कालातीत हो चुके है। अतः बैंक से इन चैकों के भुगतान की पुष्टि के पश्चात ₹111821/–रोकड़ वही की आय पक्ष में लेना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में यह चैक बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो।

(ग) Grant in Aid रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि दिनांक 05.07.2010 को ₹60000/–स्वीकृति पत्र संख्या CBA-relief-3 (SS) 2009-10 दिनांक 02.07.10 के अन्तर्गत Additional Distt Megistrate Chamba प्राप्त की गई लेकिन इसकी प्रविष्टि Development Account की रोकड़ वही में नहीं की गई। अतः इस राशि की प्रविष्टि रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें।

5 निवेशः–

परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2012 को निवेश की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(1) General Provident Fund

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 सं0	दिनांक	निवेशित राशि	बैंक का नाम	अवधि	परिपक्वता दिनांक
1	258323	26.2.08	1170350	हि0प्र0को0 बैंक डलहौजी	5 वर्ष	26.2.13

6 अनुदानः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन पर स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में प्राप्त की गई अधिकतर अनुदानों की राशि अप्रयुक्त है। अतः यह परार्मश दिया जाता है कि अप्रयुक्त अनुदान राशियों को अनुदानों को स्वीकृति की शर्तों के अनुसार व्यय करके इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किए जायें एवं अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवायें।

7 ₹51500/–के अग्रिम धन राशियों के समायोजन न करनाः–

₹51500/–की राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु नगर परिषदके विभिन्न कर्मचारियों को अग्रिम धन राशि के रूप में दी गई थी जिसका उल्लेख **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है लेकिन इनका समायोजन अंकेक्षण के दौरान नहीं किया गया था जबकि अग्रिम राशियों का समायोजन 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए था। अतः कार्यकारी अधिकारी को परार्मश दिया जाना है कि तुरन्त कार्यकारी अधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि तुरन्त अग्रिम राशि का समायोजन नियमानुसार शीध्र किया जाए व सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

8 आयः–

(1) गृह करः–

(I) ग्रहकर की बकाया राशि ₹4102195/–वसूली न करनाः–

परिषद की आय का मुख्य साधन ग्रहकर है जिससे प्राप्त आय को वहां की जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है लेकिन नगर परिषद को दिनांक 31.3.2012 तक ₹4102195 की राशि ग्रहकर के रूप में लेना बाकी है जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट "फ"** में दिया गया है जो कि एक अति गम्भीर वितीय मामला है। अतः इसे शीध्र वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(II) ₹119962/–ग्रहकर की कम मांग करने बारेः–

ग्रहकर निर्धारण रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 का कुल निर्धारित गृहकर ₹1215256/–प्रतिवर्ष था जबकि परिशिष्ट "फ" के अनुसार वर्ष 2010–11 में

गृहकर की मांग ₹1154065 एवं 2011–12 में ₹1156485/–की गई थी जो कि कुल निर्धारित गृहकर से क्रमशः ₹61191 एवं ₹58771/–कम मांग की गई थी अर्थात कुल ₹119962/–की कम मांग करने के परिणामस्वरूप परिषद को आय की हानि हुई। अतः कम मांग करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं कम आंकी गई मांग को नियमानुसार सम्बन्धित गृहकरदाताओं की मांग में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(III) ₹34343/–का गृहकरदाताओं को अनियमित लाभ प्रदान किए जाने बारेः–

गृहकरदाताओं को ग्रह कर की राशि का भुगतान बिल जारी होने की तिथि से 10 दिन के भीतर करने पर ग्रह कर में 20**%** की छूट प्रदान की गई थी विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ङ)** में दर्शाया गया है जो कि पूर्णतया अनियमित थी क्योंकि जांच में पाया कि वर्ष के अन्त तक इस प्रकार की छूट प्रदान की गई थी जबकि नियमानुसार गृहकर के बिल वर्ष के शुरू में जारी किए जाने चाहिए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गृहकर दाता को इस का लाभ प्रदान करने के लिए उसी समय बिल जारी किए गये जब गृहकरदाता ने ग्रहकर भुगतान किया जो कि पूर्णतया अनुचित था परिणामस्वरूप परिषद को ₹34343/–की आर्थिक हानि हुई है। इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की भरपाई की उचित स्त्रोत से की जाए। अतः भविष्य में इस प्रकार की छूट का लाभ गृहकर दाताओं को नियमों के अनुसार ही प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।

(IV) ग्रहकर ₹6166/–की कम वसूलीः–

चयनित माह 04/2011 की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित ग्रहकर दाताओं से ग्रहकर के रूप में ₹6166/–की कम वसूली की गई।

क्रमांक	गृह सं0	गृह कर की प्राप्त राशि	जी–8 सं0	कुल मांग से घटाई गई राशि	राशि
1	फ्लैट न0 10 ब्लाक सी	9280	56/17 दिनांक 25.4.11	10765	1485
2	फ्लैट न0 11 ब्लाक सी	9280	57/17 दिनांक 25.4.11	10765	1485

3	फ्लैट न0 12 ब्लाक सी	9280	58 / 17 दिनांक 25.4.11	10765	1485
4	सैट न0 5 ब्लाक बी	11140	59 / 17 दिनांक 25.4.11	12851	1711
			कुल हानि		**6166**

अतः उपरोक्त राशि सम्बन्धित गृहकरदाताओं से वसूल करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं चयनित माह के अलावा अन्य माहों की जांच अपने स्तर पर करके वसूलियां करना सुनिश्चित करें।

(2) जल कर:–

(I) जलकर की बकाया राशि ₹1937123 / –वसूली शेष–

₹1937123 / –जल कर के रूप में बकाया राशि दिनांक 31.3.2012 तक वसूली हेतु शेष है विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है जो कि अति गम्भीर वितीय मामला है। अतः इसे शीध्र वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

(II) जल के रूप में ₹3055 / –की कम वसूली:–

चयनित माह 04 / 2011 की जांच करने पर पाया कि निम्नलिखित करदाताओं से जल कर के रूप में ₹3035 / –की कम वसूली की गई।

क्रमांक	**गृह सं0**	**जल कर की प्राप्त राशि**	**जी–8 सं0**	**कुल मांग**	**हानि**
1	Alpin Cottage No. 575 – 576	194	95 / 15 दिनांक 11.4.11	234	40
2	Set No. 10 Block C	4455	56 / 17 दिनांक 25.4.11	5168	713
3	Set No. 11 Block C	4455	57 / 17 दिनांक 25.4.11	5168	713
4	Set No. 12 Block C	4455	58 / 17 दिनांक 25.4.11	5168	713
5	Set No. 5 Block B	5345	59 / 17 दिनांक 25.4.11	6201	856
			कुल हानि		**3035**

अतः उपरोंक्त राशि सम्बन्धित करदाताओं से वसूल करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं चयनित माह के अलावा अन्य माहों की जांच अपने स्तर पर करके वसूलियां करना सुनिश्चित करें।

(3) सफाई कर (Conservancy tax)

(I) सफाई कर की बकाया राशि ₹2141520/– वसूली योग्य शेषः–

दिनांक 31.3.2012 तक ₹2141520/–सफाई कर के रूप में बकाया राशि वसूली हेतु शेष है जिसका विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है। अतः उक्त राशि को शीध्र वसूल करके अनुपालना से इस विभाग की भी अवगत करवायें।

(II) मांग व प्राप्ति रजिस्टर में वास्तविक प्राप्त सफाई कर राशि से अधिक राशि दर्शाने से ₹5989/– की हानिः–

चयनित माह 04/2011 की जांच के दौरान पाया कि निम्नलिखित कर दाताओं से वास्तविक सफाई कर की प्राप्त राशि से अधिक राशि दर्शाने के कारण नगर परिषद को ₹5989/–की हानि उठानी पड़ीः–

क्रमांक	गृह सं0	सफाई कर की प्राप्त राशि	जी–8 सं0	कुल मांग से कम की गई राशि	हानि
1	Set No. 10 block C	8910	56/17 दिनांक 25.4.11	10336	1426
2	Set No. 11 Block C	8910	57/17 दिनांक 25.4.11	10336	1426
3	Set No. 12 Block C	8910	58/17 दिनांक 25.4.11	10336	1426
4	Set No. 5 Block B	10690	59/17 दिनांक 25.4.11	12401	1711
				कुल हानि	**5989**

अतः उपरोक्त राशि सम्बन्धित करदाताओं से वसूल करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों की जांच अपने स्तर पर करके वसूलियां करना सुनिश्चित करें।

(4) दुकानों से आयः–

(I) ₹4064967/–भवनों, दुकानों व अन्य परिसरों के किराये के रूप में बकाया राशियों की वसूलियां न करनाः–

परिषद द्वारा अपनी आय के साधनों को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में लगभग 223 दुकानों का निर्माण किया था। **परिशिष्ट "ज"** के अनुसार दिनांक 31.3.2012 ₹4064967/–दुकानों की किराये के रूप में वसूली हेतु शेष जिस में से निम्न विवरण अनुसार ₹2724388/–केवल 27 किरायेदारों से लेनी शेष है जबकि निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच0ए0(7)–1/87–9237/9284 दिनांक 20.6.2001 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद डलहौजी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जो कि एक चिन्ताजनक विषय है। अतः समस्त बकाया राशियों की शीध्र वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	**दुकान सं0**	**किरायेदार का नाम**	**किराये की बकाया राशि**
1	Kiosk No. 1	श्री विजय कुमार	20915
2	Shop No. 1, 2	श्री जोगिन्द्र सिंह	61689
3	Shop No. 3 Upper C.R.	The Area Hanagir	46880
4	Shop No. N.T. Mall	श्री विजय एवं अशोक कुमार	29224
5	Poultry Cum meal shop	श्री तिलक राज कपूर	26551
6	Shop No. 3 CB Road	श्री साहिब सिंह	37100
7	Shop No. 4	श्रीमती नूतन नरूला	20884
8	Shop No. 3 H.L. Blag	श्री राजेन्द्र कुमार	95216
9	Shop No. 4 MES pipe line Road	श्री रमेश राज	50455
10	Shop No. 2	श्रीमती स्वर्ण कान्ता	70811
11	Shop No. 3	श्री हेम राज	54393
12	Shop No. 5	श्री मुतख राज	35574
13	Shop No. 4	श्री ब्रिज लाल	25999
14	Kiosk on MES pipe line Road	श्री रणजीत सिंह	28061

15	Kiosk on MES pipe line Road	श्री तेज नाथ कौल	26370
16	Shop No. 8 Bus stand	श्री तिलक राज	35181
17	Shop No. 4 Bus stand	श्री कुलवन्त सिंह	35210
18	Shop no. 6 New Shop	श्रीमती मन्जीत कौर एवं श्री जोहर सिंह	113982
19	Shop No. 2 ST Mall	श्रीमति रेनू गुलेरिया	101764
20	Old ocpia Post	श्रीमती हेम लता	597659
21	Shop No. 6 Court Road	श्री अशोक कुमार	121602
22	Shop No. 2, N.T. Mall	श्री अशोक कुमार	63250
23	Shop No. 3, N.T. Mall	श्री भूपेन्द्र सिंह	712530
24	Shop No. 1, 2, 3 below Parking N.T. Mall	श्री अतुल महाजन	124078
25	Himanthu Traders	श्री रमेश गुप्ता	40350
26	Ship No. 4, C.R.	श्री तिलक राना	21729
27	Shop No 5, wurt Road	Area Manager HPSFC,	60388
28	Shop No 7, Bus Stand	श्री यशपाल	37449
29	Godown S.B.	श्री दास राम	29094
		कुल योग	**27,24,388**

(II) किराये का मांग व वसूली रजिस्टर का रखाव न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि किराये का मांग व वसूली रजिस्टर तैयार नहीं किया गया यह अनियमित है। अतः इस रजिस्टर के अभाव के कारण किराये की सही मांग/वसूली एवं बकाया राशि की गणना करना असम्भव है। अतः किराये की मांग व वसूली रजिस्टर को न बनाने का औचित्य स्पष्ट करें एवं इसे तत्काल प्रभाव से नियमानुसार तैयार करके आवश्यक जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

(III) 12 दुकानों का आंबटन न करनाः–

परिषद द्वारा 12 दुकानें पिछली लम्बी अवधि से खाली रखी गई थी इसका उल्लेख अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010 के पैरा संख्या 4.17 में भी किया गया था लेकिन इनके आंबटन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा कोई पग नहीं उठाए जो कि

एक चिन्ताजनक विषय है क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इन दुकानों का निर्माण किया गया था एवं लाखों रूपये की राशि खर्च की गई थी, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है बल्कि इन दुकानों के रख–रखाव में नगर परिषद कों अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है व कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है। दुकानों को आंबटन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इनके आंबटन के लिए शीध्र उचित पग उठाएं जायें ताकि परिषद की आय में बढ़ौतरी हो सके।

(IV) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दुकानों की किराये की बढ़ौतरी न करनाः–

दुकानों के अनुबन्धों की जांच करने पर पाया गया कि प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात किराये की राशि में 15**%** की वृद्धि की जानी थी जो कि नियमानुसार नहीं बढ़ाई गई थी जिसके कारण नगर परिषद को प्रतिवर्ष लाखों रूपये की हानि उठानी पड़ रही है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए नगर परिषद की कुल 223 दुकानों में से केवल 5 दुकानों के अनुबन्ध अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये जिनकी जांच करने पर पाया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार/किराया नहीं बढ़ाया गया था अन्य दुकानों के अनुबन्ध अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए। अनुबन्ध की शर्तो अनुसार जब से दुकानें आंबटित की गई थी उस तिथि को आधार बनाकर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात नियमानुसार दुकानों के किराये में 15**%** की वृद्धि करके राशि दुकानदारों से वसूल करना सुनिश्चित किया जाये।

(5) तहबाजारी की वसूली नियमित रूप से न करनाः–

अंकेक्षण में पाया कि परिषद द्वारा तहबाजारी से निरन्तर आय की प्राप्ति के लिए कोई उचित पग नहीं उठाए थे और न ही दिन–प्रतिदिन की आय के लेखा–जोखा से सम्बन्धित अभिलेख तैयार किए गये थे जिनके अभाव में तहबाजारी से प्राप्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं तहबाजारी से सम्बन्धित निम्न आपतियां पाई गईः–

(i) वर्ष 2010–11 में तहबाजारी के रूप में जी–8 संख्या 38/14 दिनांक 28.3.2011 द्वारा केवल ₹1560/–की आय प्राप्त हुई एवं जुलाई 2010 के पश्चात किसी प्रकार की तहबाजारी की वसूली नहीं की गई। अतः जुलाई 2010 के पश्चात से तहबाजारी की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा पिछले माह की तहबाजारी की आय के आधार पर अगस्त 2010 से मार्च 2011 तक की तहबाजारी की राशि उचित स्त्रोत से वसूलना सुनिश्चित करें।

(ii) वर्ष 2011–12 के चयनित माह 04/2011 की जांच करने पर पाया कि तहबाजारी से सम्बन्धित दिन–प्रतिदिन होने वाली आय से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किए गये थे जिससे

तहबाजारी से आय की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः भविष्य में तहबाजारी का दैनिक रिकार्ड रखा जाना सुनिश्चित करें।

(6) विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से ₹170000/–वसूली योग्य शेषः–

मोबाईल टावर से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि विभिन्न कम्पनियों से दिनांक 31.3.2012 तक ₹1,70,000/–वसूली योग्य शेष है जिसमें से ₹80,000/–एयरटेल कम्पनी से वर्ष 2007–08 से दिनांक 31.3.2012 तक बकाया है जिसका विवरण परिशिष्ट "झ" में दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया कि इस राशि को वसूल करने के लिए नगर परिषद द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे है। उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कम्पनियों से नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। बकाया राशि का विवरण इस प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**मोबाईल कम्पनी का नाम**	**वसूली योग्य राशि**
1	रिलायन्स	40000
2	टाटा	20000
3	वोडाफोन	10000
4	एयरटेल	80000
5	एयरसेल	20000
	कुल राशि	**170000**

(7) वध गृह फीस की वसूली न करने बारेः–

परिषद द्वारा वध ग्रह फीस की पिछले कई वर्षों से वसूली नहीं की जा रही है और न ही वध ग्रह रजिस्टर का रख रखा किया गया था जबकि वध ग्रह रजिस्टर के निरीक्षण के बदले डा0आर0डी0 चौहान को ₹100/– प्रति माह भत्ता दिया जा रहा है। अतः वध ग्रह फीस की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व निर्धारित दर से वसूल न की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

(8) हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 66 (1) (VIII) के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में बिजली के प्रति यूनिट के बदले 1 पैसा प्रति यूनिट की राशि प्राप्त न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर परिषद को बिजली बोर्ड से 1 पैसा प्रति यूनिट जो कि नगर परिषद के क्षेत्र में लोगों द्वारा बिजली उपयोग की जाती है, कई वर्षों से

वांछित राशि प्राप्त नहीं की गई। जिस कारण प्रतिवर्ष नगर परिषद को वितीय हानि हो रही है। अतः शीध्र बिजली बोर्ड से अपेक्षित बकाया राशि को वसूल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(9) विश्राम गृहों को बन्द करने के फलस्वरूप परिषद को प्रतिवर्ष लाखों रूपये की आर्थिक हानिः—

डलहौजी एक प्रर्यटन स्थल है एवं यहां पर प्रर्यटक का आना—जाना पूरा वर्ष लगा रहता है। अतः नगर परिषद द्वारा आय बढ़ाने एवं जनता की सुविधा के लिए सुभाष चौंक एवं गांधी चौक में 5—5 सैटों वाले 2 विश्राम ग्रहों का निर्माण किया था जिसके लिए लाखों रूप्ये की राशि खर्च की गई थी विश्राम गृहों को बन्द कर दिया गया है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं

(1) विश्राम ग्रह सुभाष चौंकः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सुभाष चौक का विश्राम ग्रह नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 265 दिनांक 21.5.2010 द्वारा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को आवास के लिए आंबटित कर दिया गया था जो कि नियमों के विपरीत है क्योंकि नगर परिषद द्वारा जिस उद्देश्य के लिए विश्राम ग्रह का निर्माण किया था वह पूरा नहीं हो रहा है एवं नगर परिषद को प्रतिवर्ष विश्राम ग्रह से कोई आय न होने के कारण लाखों रूपये की हानि हो रही है जबकि नगर परिषद द्वारा मात्र ₹114/—प्रतिमाह आवास किराये के रूप में वसूल किये जा रहे हैं अतः विश्राम ग्रह का दुरूपयोग किया जा रहा है। अतः विश्राम ग्रह का उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु इसे निर्मित किया गया है। ताकि विश्राम ग्रह के लिए उपलब्ध करवाया गया फर्नीचर एवं नियुक्त कर्मचारियों को उचित उपयोग किया जा सके। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(2) गांधी चौकः—

गांधी चौक का विश्राम गृह बिना किसी कारण के कार्यालय आदेश संख्या 1437—1441 दिनांक 27.12.08 से बन्द कर दिया गया था जिससे प्रतिवर्ष नगर परिषद को लाखों रूपये की हानि को हानि हो रही है एवं विश्राम गृह के लिए नियुक्त कर्मचारियों को बिना किसी काम के वेतन का भुगतान किया जा रहा है। अतः विश्राम ग्रह को बन्द करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं इसे पुनः शुरू करके अत्यन्त प्रयोग में लाया जाए ताकि नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके।

10 **(I) वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में सिनेमा हाल के किराये की ₹16864/–कम मांग करनाः–**

सिनेमा हाल का भवन जून 2000 में नगर परिषद द्वारा श्री रविकान्त वालिया को ₹36501/– प्रतिवर्ष पटटे पर इस शर्त के साथ दिया गया था कि प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात किराये में 10% की दर से वृद्धि की जाएगी लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर परिषद द्वारा किराये की मांग के दौरान वर्ष 2003 के पश्चात किराये की राशि में वृद्धि नहीं की गई थी अर्थात वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में ₹48583/– के स्थान पर ₹40151/–की मांग की गई थी जिससे नगर परिषद को ₹16864/–की आर्थिक हानि हुई है अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार किराये की मांग न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः उक्त राशि अब नियमानुसार वसूल करके परिषद खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

(II) सिनेमा हाल भवन की किराये के बकाया राशि ₹358549/–वसूली योग्य शेषः–

अंकेक्षण में पाया कि श्री रविकान्त बालिया द्वारा जून 2004 के पश्चात सिनेमा हाल भवन के किराये का भुगतान नगर परिषद को नहीं किया था। इस प्रकार जून 2004 से 31.3.2012 तक कुल बकाया किराये की राशि ₹358549/–बनती है विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है जबकि नगर परिषद द्वारा ₹204405/– बकाया राशि आंकी गई थी। अतः कम बकाया राशि आंका जाना किरायेदारों को ₹154134/–अनुचित लाभ प्रदान करना है। इसका औचित्य स्पष्ट करें व किराये की मांग की राशि में पाई गई अशुद्धि को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठीक करके राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	अवधि		
1	जून 2004 से मई 2005	40151	
2	जून 2005 से मई 2006	40151	
3	जून 2006 से मई 2007	44166 (10%)	(40151+4015
4	जून 2007 से मई 2008	44166	
5	जून 2008 से मई 2009	44166	
6	जून 2009 से मई 2010	48583 (44166+4417)	

7	जून 2010 से मई 2011	48583
8	जून 2011 से मई 2012	48583
	कुल	**358549**

11 कैन्टोन मैनट बोर्ड से की आय (टोल टैक्स) की आय का हिस्सा प्राप्त न करनाः–

नगर परिषद डलहौजी एवं कैन्टोरमैनट बोर्ड के बीच में टोल टैक्स की आय 50:50 के अनुपात में वितरित करने का अनुबन्ध है। टोल टैक्स का संचालन एवं देख रेख कैनटोनमैनट बोर्ड के हाथ में है। अंकेक्षण के दौरान पाया कि दिनांक 1.10.2010 से 31.3.2012 तक प्राप्त की गई टोल टैक्स आय का 50**%** भाग कैन्टोनमैन्ट बोर्ड द्वारा नगर परिषद डलहौजी को नहीं दिया गया था। जिसे अब वसूल करना सुनिश्चित किया जाये।

12 डलहौजी क्लब के किराये के वसूली न करनाः'–

नगर परिषद ने अपना डलहौजी क्लब का भवन एवं परिसर कैटोनमैन्ट बोर्ड को लीज पर दिया था जिसकी लीज 31.10.1995 को समाप्त हो चुकी थी लेकिन 18 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी नगर परिषद इसे कैन्टोनमैन्ट बोर्ड से वापस लेने में नाकाम रहा है। इसकी आपति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/10 के पैरा संख्या 4.10 में भी उठाई गई थी लेकिन नगर परिषद द्वारा क्लब पर कब्जा वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जिससे नगर परिषद को प्रतिवर्ष लाखों रूपये की आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। अतः शीध्रअतिशीध्र डलहौजी क्लब को अधिग्रहण करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जाए एवं 31.10. 1995 के पश्चात से कब्जा वापस लेने तक कैनटोनमैनट बोर्ड से अपेक्षित किराये की राशि भी प्राप्त करना सुनिश्चित करें ताकि नगर परिषद की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

13 वर्ष 2011–12 में आबकारी एवं कराधान विभाग से नियमित अनुदान की राशि प्राप्त न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि आबकारी एवं कराधन विभाग (हिमाचल प्रदेश) से नियमित अनुदान की राशि हर वर्ष प्राप्त की जाती है जो कि वर्ष 2011–12 में नगर परिषद डलहौजी को प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस अनुदान की राशि को सम्बन्धित विभाग से शीध्र प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 व्ययः–

(1) ₹230559/–मंहगाई भत्ते के रूप में कर्मचारियों को नकद भुगतानः–

वित विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकारी के पत्र संख्या फिन(सी)–बी (7)–2/2006 दिनांक 27.1.2011 के अनुसार मंहगाई भत्ता दिनांक 01.07.2010 से 35**%** से बढ़ाकर 45**%** किया गया था एवं मंहगाई भत्ते की बढ़ी राशि दिनांक 1.7.10 से 31.12.10 तक सम्बन्धित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जानी अपेक्षित थी जबकि अंकेक्षण के दौरान पाया कि वाउचर संख्या 1 से 9 माह मार्च 2011 के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों को ₹230559/–मंहगाई भत्ते का नगद भुगतान किया गया जबकि यह राशि सम्बन्धित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जानी थी। अतः उपरोक्त पत्र संख्या द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में सरकार के निर्देशों के अनुसार ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2) ₹91500/–व्यय से सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः–

₹91500/–निम्नलिखित व्यय से सम्बन्धित वाउचर/दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किए गये जिनके अभाव में भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि/जांच नहीं की जा सकी।

क्र0सं0	वा0सं0	बिल सं0	उद्देश्य	राशि
1	वा0सं0 15 दिनांक 4.3.2011	बिल सं0 शून्य माह 01/2011 मै0 इन्टरनैशनल इन्स्टीचयूट ऑफ सुलभ	क्लीनिंग एण्ड स्वीपिंग ऑफ डलहौजी एम0सी0	31350
2	वा0सं0 31 दिनांक 21.3.2011	बिल सं0 शून्य माह 02/2011 मै0 इन्टरनैशनल इन्स्टीचयूट ऑफ सुलभ	–यथोपरि–	31350
3	वा0सं0 76 दिनांक 23.3.2011	बिल सं0 शून्य माह 10, 11, 12/2010	–यथोपरि–	28800

01/2011 ₹7200 प्रत्येक
मै0 सुलभ इन्टरनैशनल
आरगेनाईजेशन चण्डीगढ़

कुल योग 91500

अतः उपरोक्त भुगतानों से सम्बन्धित दस्तावेज आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा अनाधिकृत रूप से किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद के खातें में जमा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(3) वकील श्री आदर्श वशिष्ट के पारिश्रमिक का लेखा–जोखा सम्बन्धित रजिस्टर में न रखने बारेः–

वाउचर संख्या 55 माह 9/2011 द्वारा ₹24000/–का भुगतान श्री आदर्श वशिष्ट, वकील को अवधि 08/2009 से 03/2010 तक के लिए ₹3000/–प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक के रूप में किया गया वकील की नियुक्ति पत्र संख्या 1101 दिनांक 24.10.03 एवं प्रस्ताव संख्या 259 दिनांक 26.3.2010 द्वारा की गई थी लेकिन पारिश्रमिक का लेखा सम्बन्धित Suit रजिस्टर में नहीं किया था और न ही वकील के कार्य का ब्यौरा बिल में दिया गया था ताकि वकील के पारिश्रमिक को न्यायसंगत ठहराया जा सकता। अतः पारिश्रमिक का लेखा Suit रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करें एवं इस अवधि के दौरान वकील द्वारा निपटाई गई नगर परिषद की कानूनी कार्यवाही का ब्यौरा आगामी अंकेक्ष्राण में आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

(4) ₹9014/–की सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारेः–

वाऊचर संख्या 60 माह सितम्बर 2011 की जांच के दौरान पाया कि वर्क आर्डर संख्या 841 दिनांक 23.8.2011 द्वारा 123.54 किलोग्राम लौहे का जाला ₹73/–प्रति किलोग्राम की दर से बनवाया एवं ठेकेदार को ₹9018/–का भुगतान किया गया लेकिन इस सामग्री का इन्द्राज सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था। अतः इसकी प्रविष्टि सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में करके आगामी अंकेक्षण में अनुपालना से अवगत करवाएं।

(5) सड़कों के मुरम्मत कार्य में ₹14088/—का ठेकेदार को अधिक भुगतानः—

वाऊचर संख्या 3 माह मार्च 2011 द्वारा नगर परिषद की सड़कों की मुरम्मत कार्य हेतु श्री कमल कुमार ठाकुर को तृतीय एवं अन्तिम बिल के रूप में ₹970919/—का भुगतान किया गया था। नगर परिषद की सड़क की मुरम्मत कार्यों के लिए श्री कमल कुमार ठाकुर को पत्र संख्या 991/डी0एम0सी0 दिनांक 24.9.09 द्वारा न्यूनतम दरों के अनुसार पर अधिकृत किया गया था।

तृतीय एवं अन्तिम बिल की प्रविष्टियों की माप पुस्तिका 8 पृष्ठ 37 में जांच के दौरान पाया कि आर0डी0 बस स्टैन्ड टूवार्ड लालजी होटल (लॉअर वॉक रोड) मे ंकुल मात्रा 1278 Sq. meter थी जबकि ठेकेदार को 1375.50 S.Q. meter मात्रा का भुगतान किया गया था अथात 57. 50 Sq. meter मात्रा के लिए ₹14088/—का अधिक भुगतान किया गया था। मुरम्मत कार्य में कुल चार मदों का प्रयोग किया गया था एवं अधिक भुगतान की गई राशि का विवरण इस प्रकार से हैः—

RD: Bus Stand toward Lalji hotel

MB: 8 Page 37

Actual Quantity 1278 Sq. Meter

Paid Quantity: 1335.50 Sq. Meter

Excus Paid Quantity: 57.50 Sq. Meter

Sr. No.	**Item**	**Excees Quantity**	**Rate**	**Excees paid**
1	Preparining surface with brush	57.50 Sq. Meter	₹7 per Sq. Meter	403.00
2	Applying tack Coat	57.50 Sq. Meter	₹42 per Sq. Meter	2415.00
3	Premixed carpet	57.50 Sq. Meter	₹155 per Sq. Meter	8912.50
4	Seal coal	57.50 Sq. Meter	₹41 per Sq. Meter	2357.50
			total	**14088.00**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31 दिनांक 6.3.2013 के अन्तर्गत सूचित किया गया था जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए पत्र संख्या 241/डीएमसी दिनांक 06.3.2013 द्वारा सूचित किया कि ठेकेदार श्री कमल कुमार ठाकुर की इस कार्य की धरोहर राशि अभी नगर परिषद कार्यालय में जमा है। अतः इस धरोहर राशि से अधिक भुगतान की गई राशि ₹14088/—की वसूली कर ली

जाएगी। अतः ₹14088/–की वसूली करके नगर परिषद के खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(6) यात्रा भत्ते के रूप में ₹13950/–का अनुचित भुगतानः–

वाउचर संख्या 1 दिनांक 9.9.2011 की जांच में पाया कि नगर परिषद द्वारा अपने 4 कर्मचारियों कमशः श्री कर्मचन्द (लिपिक) श्री रविन्द्र कुमार (लिपिक), श्री बलवन्त कुमार (लिपिक) एवं श्री संजीव कुमार (कनिष्ठ अभियन्ता को प्रशिक्षण हेतु दिनांक 2.8.2011 को उतराखंड भेजा था। इन कर्मचारियों को टैक्सी का प्रयोग ठहराव होटल में ठहराव के लिए निम्न विवरण अनुसार ₹13950/–को अनुचित भुगतान किया गया। जिसके लिए यह कर्मचारी नियमों के अनुसार सक्षम नहीं थे।

Dalhousie to chandigharh by taxi=₹5000

2Nos Room raint @ ₹1000 each at Chandigarh on 02.08.2011=₹2000

2 Nos Room Rent @₹1000 each at Chandigarh to Dalhousie by taxi=₹4950

Total ₹13950

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की गई राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

(7) विकास कार्य की रोकड़ वही के सितम्बर 2011 के उपरोक्त वाऊचर 2 दिनांक 14.9.2011 की जांच करने पर पाया कि सुभाष चौंक में स्थित विश्राम ग्रह की मुरम्मत हेतु मैसर्ज महेन्द्र इन्टरप्राईजिज, चम्बा से बिल संख्या 4902 दिनांक 2.7.2011 द्वारा ₹37700/–की सैनिटरी सम्बन्धी विभिन्न सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया गया उपरोक्त बिल में वर्णित सामग्री की कुल राशि वास्तव में ₹36710/–बनती थी। अतः मैसर्ज महेन्द्र इन्टरप्राईजिज चम्बा को ₹990/–की अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त बिल में सामग्री की खपत माप पुस्तिका 8 एवं पृष्ठ 5 पर की गई बताई गई है। वास्तव में माप पुस्तिका में सामग्री की खपत का कोई ब्यौरा नहीं था। अतः आगामी अंकेक्षण में सामग्री के भण्डार एवं खपत की प्रविष्टियों से अवगत करवाया जाये।

(8) भुगतान की वास्तविक रसीद प्राप्त न करने बारेः—

चयनित माह के वाऊचर 7 एवं 9 दिनांक 20.9.2011 की जांच उपरान्त पाया कि निम्न भुगतानों के विरूद्ध वास्तविक रसीद प्राप्त नहीं की गई थी जिसके अभाव में इस भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अब आपेक्षित वास्तविक रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	बिल सं0	खरीदी सामग्री का ब्यौरा	राशि
1	वा0 सं0 7 सितम्बर 2011	9607 / 26.8.2011 मै0 आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री चम्बा	5 नं0 गारवेज कनटेनर @ ₹29500 प्रत्येक	147500
2	वा0 सं0 9 सितम्बर 2011	शून्य / 01.9.2011 मै0 बी0आर0 सूरी चम्बा	(1) 60 नं0 सी0एफ0एल0 फिटिंग @2350 प्रत्येक 141000 (2) 200 नं0 सी0एफ0एल0 टयूब @200 प्रत्येंक 40000 (3) 100 नं0 सी0एफ0एल0 इगनेटर@120 प्रत्येक 12000 (4) 50 नं0 सी0एफ0एल0 चॉक @250 प्रत्येक 12500	205500

(9) निविदाएं आमन्त्रित करते समय क्रय की जानें वाली सामग्री की निर्दिष्टा (specification) अंकित न करने बारेः—

वाउचर संख्या 11 दिनांक 28.9.2011 द्वारा 2500 CFT Crusher एवं 500 cft sand की आपूर्ति के एवज में श्री विकास परमार को ₹83639/—का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य की सामग्री की आपूर्ति हेतु न्यूनतम निविदताओं के आधार पर वर्क आर्डर संख्या 418 दिनांक 4.3.11 द्वारा श्री विकास परमार को अधिकृत किया गया था लेकिन निविदाएं आमन्त्रित करते समय NIQ में सामग्री की निर्दिष्टा (specification) निर्धारित नहीं की गई थी जिसके अभाव में सामग्री की न्यूनतम दरों को निर्धारित करना असम्भव है। अतः न्यूनतम दर के निर्धारण के लिए अपनाए गये मापदण्डो से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में प्रत्येक मद की Specification निर्धारित करना सुनिश्चित

करें। इसके अतिरिक्त सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज एवं सामग्री का उपयोग जिस–2 कार्य के लिए किया गया था, से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया था। जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। आवश्यक अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाए।

(10) वाहन की खरीद पर ₹61828/–का अनियमित व्ययः–

वाऊचर संख्या 8 माह अक्तूबर 2010 की जांच करने पर लेखा परीक्षा में पाया कि M/s vehicle Ade Pvt. Ltd पठानकोट से ₹311828/–में Alto K10 Lxi वाहन खरीदा गया थ लेकिन इस खरीद हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ₹250000/–की पत्र संख्या Peach, CBA (BRGF) 2008–09 दिनांक अक्तूबर 2010 Secretary Distt planning committee. Chamba द्वारा प्रदान की गई थी। अतः अतिरिक्त व्यय ₹61828/–की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए बिना किए गये अनाधिकृत व्यय बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए।

(11) नगर परिषद की गाड़ियों की कम औसत बारेः–

(I) Truck No. HP 47-3522

नगर परिषद के ट्रक संख्या एच0पी0–47–3522 की लॉग बुक की जांच करने पर पाया कि डीजल की खपत विवरणिका व गाड़ी की माहवार औसत नियमानुसार तैयार नहीं की गई थी जिससे अभाव के कारण यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि गाड़ी की वास्तविक औसत कितनी थी। चयनित माहों में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी एवं डीजल की खपत का ब्यौरा इस प्रकार थाः–

मार्च 2011

Reading on 01.03.2011	Reading on 31.03.2011	Total Kms covered during month	Diesel consumed	Average
29050	31085	2035 KMs	508.75Ltr	4 Km per ltr

सितम्बर 2011

Reading on 01.09.2011	Reading on 30.09.2011	Total Kms covered during month	Diesel consumption	Average
48491	51266	2775 KMs	693.75	4 Km per ltr

अतः गाड़ी की औसत को किसी अधिकृत ऐजेन्सी से सत्यापित करवाया जाए एवं यदि गाड़ी की सत्यापित औसत 4 कि0मी0 प्रति लीटर से अधिक पाई जाती है तो अंकेक्षण अवधि में अधिक खपत किए गये डीजल के मूल्य की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं लॉग बुक को समय–2 पर नियन्त्रण अधिकारी से सत्यापित करवाना भी सुनिश्चित करें।

(II) ALTO K10 Lxi HP-47-3812

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में 214 लीटर पैट्रोल की अधिक खपतः–

उपरोक्त वाहन की लॉग बुक की जॉच के दौरान पाया कि इसकी खपत विवरणिका व औसत को माहवार तैयार नहीं किया गया था जिससे यह पता लगाना मुश्किल था कि वाहन की वास्तविक औसत कितनी थी। इस गाड़ी की प्रमाणक औसत 15 कि0मी0 प्रति लीटर बताई गई थी। अतः चयनित माहों की औसत अंकेक्षण में निम्न पाई गईः–

मार्च 2011

Reading on 01.03.2011	Reading on 31.03.2011	Total Kms covered during month	Diesel consumption	Average
2709	3522	813 KMs	87Ltr	9.34 Km per ltr

सितम्बर 2011

Reading on 01.09.2011	Reading on 30.09.2011	Total Kms covered during month	Diesel consumption	Average
6385	6726	341KMs	39 Ltr	8.74 Km per ltr

चयनित माहों में वाहन की औसत अंकेक्षण में बहुत कम पाई गई। अतः पूरी अंकेक्षण अवधि की औसत की गणना इस प्रकार की गई।

Year	Opening Reading	Closing Reading	Total Kms Covered	Petrol Consumption	average	Certified Average	Excess Consumption of Petrol
2010-11	140	3522	3382 Kms	316 Ltr	10.70 Kms per Ltr	15 Kms per Ltr	91 Ltr
2011-12	3522	10566	7044 Kms	592.36 Ltr	11.89 Kms per Ltr	15 Kms per Ltr	123 Ltr
							214 Ltr

इस प्रकार अंकेक्षण अवधि में 214 Ltr पैट्रोल की खपत अधिक पाई गई। अतः इस अधिक पैट्रोल की खपत का औचित्य स्पष्ट करे अन्यथा दोषी कर्मचारी से इस की वसूली करना सुनिश्चित करें।

(12) ₹25000/–का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

वर्ष 2010–11 के Major निर्माण कार्य C/O Parking at Dalhousie न्यूनतम दरों के आधार पर ठेकेदार श्री विकास वर्मा को पत्र संख्या/530/DMC/ दिनांक 30.12.09 द्वारा ₹6033936/–में award किया गया था। कार्य की विस्तृत जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(1) कार्य को अवार्ड करने से पूर्व कार्य की न्यायालय दरों का निर्धारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह पता लगाना मुश्किल था कि ठेकेदार को कोई अनुचित लाभ तो प्रदान नहीं किया गया था।

(2) कार्य की तकनीकी स्वीकृति निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात पत्र संख्या NH (N-III)/SM/DTS/2012/-150 T.S. No. 07 Year 2012-13 दिनांक 08.10.2012 द्वारा ली गई थी जो कि अनुचित थी क्योंकि निर्माण कार्य मार्च 2011 में ही पूरा हो चुका था। अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(3) कार्य के निर्माण की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति इस प्रकार ली गई थी

1	Deputy Commissinor Chamba Letter no. PLG/CBA/RSVY/8-48/2003/ Dated 08.05.2007	₹1000000
2	SDO (C) Dalhousie under chamba Tourist circul letter no. Dal-A/C-1 (1257)/05-1158 dated 07.06.2006	₹2300000
3	Distt. Panchyat officer, Chamba under BRGF, letter No. PCH-CBA (BRGF) 2008-09 dated 18.09.2009	₹2100375
	Total	₹5400375

जबकि निर्माण कार्य पर ₹6178407/–की राशि खर्च की गई थी। अतः ₹778032/–की राशि अधिक खर्च की गई जो कि पूर्ण रूप से अनियमित एवं नगर परिषद पर

अवैध प्रभार था। अतः इस राशि की स्वीकृति एवं राशि सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(4) संविदाकार से अनुबन्ध की शर्तो अनुसार वाटर चार्जिज की वसूली नहीं की गई थी एवं सीमेन्ट खपत विवरणी भी नहीं बनाई गई थी । इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में वाटर चार्जिज की वसूली एवं सीमेन्ट खपत विवरणी तैयार करना सुनिश्चित करें।

(5) माप पुस्तिका 9 में कार्य की विभिन्न पदों की प्रविष्टियों की जांच के दौरान विभिन्न मदों में ₹24999/—का ठेकेदार को अधिक भुगतान पाया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:'—

क्र0सं0	**मद का नाम**	**भुगतान की गई मद की मात्रा**	**वास्तविक मात्रा**	**अधिक भुगतान की गई मात्रा**	**दर**	**कुल मूल्य**	**माप पुस्तिका**
(1)	P/L 1:1½:3 (Footing)	-	-	-	-	395	MB-9 P-22 to 30
(2)	P/L 1:1½:3 (Tie Beam)	20.78 cum	17.81 cum	2.97 cum	4003.76 per cum	11891	MB-9 P-22 to 30
(3)	Form work 2nd R/Bill	955.13 sqm	931.85sqm	23.28 sqm	290 per sqm	6751	MB-9 P-22 to 30
(4)	Steel Work 1st R/Bill						
	2nd R/Bill	23146.70Kg	23069.47Kg	77.24 Kg	50 per Kg	3862	MB-9 P-15
	3rd R/Bill	10323.09 Kg	10321.08 Kg	2 Kg	50 per Kg	100	MB-9 P22 to 30
		1604.89 Kg	1564.76 Kg	40 Kg	50 per Kg	2000	MB-9 P-33 to 42
				excess payment		24999	

उपरोक्त अनियमितताओं की सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 28 दिनांक 05.03.2013 द्वारा दी गई थी जिस पर कार्यवाही करते हुए कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या 239/DMC दिनांक 16.3.2013 द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदार को अधिक भुगतान की गई राशि ₹25000/—की वसूली ठेकेदार से रसीद संख्या जी—8 86/36 दिनांक 06.03.2013 द्वारा करके नगर परिषद के खाते में जमा कर दी गई एवं इसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। अतः अन्य उपरोक्त अनियमितताओं पर तुरन्त कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(13) परिषद कार्यालय भवन निर्माण कार्य में ₹9412/—वसूली बारेः—

वर्ष 2011—12 का नगर निर्माण कार्य (C/O Municipal office building) श्री टी0आर0 कपूर को न्यूनतम दरों के आधा पर award किया गया था। कार्य की विस्तृत जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(1) कार्य की प्राकलन व तकनीकी स्वीकृति तैयार नहीं की गई थी।

(2) प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिाकरी से प्राप्त नहीं की गई थी जबकि तृतीय बिल तक ₹1958264/—का भुगतान ठेकेदार श्री टी0आर0 कपूर को निर्माण कार्य के एवज में कर दिया गया था जो कि पूर्ण रूप में अनियमित है। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं राशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(3) कार्य की न्यायसंगत दरों का निर्धारण नहीं किया गया था।

(4) Water charges की वसूली ठेकेदार के बिल से नहीं की गई थी।

(5) निविदाएं, तुलनात्मक विवरणी एवं अवार्ड लैटर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गये।

(6) माप पुस्तिका 10 में कार्य की विभिन्न मदों की प्रविष्टियों की जांच के दौरान विभिन्न मदों में ₹9412/—का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है।

क्र0सं0	मद का नाम	भुगतान की गई मद की मात्रा	वास्तविक मात्रा	अधिक भुगतान की गई मात्रा	दर	कुल मूल्य	माप पुस्तिका
1	Providing wood work in frmme in doors & window etc. Deodar wood 2nd R/Bill	2.81 cum	2.74 Cum	.07 cum	`60000 per cum	4200	MB-10 P-9 to 11

Steel (8 MM) 3rd R/Bill	3380.36 Kg	3274 Kg	106.36 Kg	`49 Kg	per	5211.64	MB-10 P-12
						9411.64	

उपरोक्त अनियमितताओं की सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 06.3.2013 द्वारा दी गई थी जिस पर कार्यवाही करते हुए कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या 240/डीएमसी दिनांक 16.3.2013 द्वारा सूचित किया था कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹9412/–की वसूली ठेकेदार से इसी कार्य के अगले बिल/अन्तिम बिल से कर ली जाएगी। अतः ₹9412/–की वसूली करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अन्य अनियमितताओं पर तुरन्त कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए।

15 स्थापनाः–

(1) श्री जगदीश चन्द, सफाई कर्मचारी को वेतन के रूप में ₹163188/–का अधिक भुगतानः–

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री गरीबू राम, सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि 01.07.1952 अंकित थी। अतः सेवा निवृति की तय तिथि 30.6.2012 थी जबकि अंकेक्षण के दौरान पाया कि श्री जगदीश चन्द से फरवरी 2013 तक नियमित कर्मचारी के तौर पर सेवाएं ली जा रही थी एवं वेतन का भुगतान किया जा रहा था। अर्थात कर्मचारी को तय तिथि पर सेवानिवृत नहीं किया गया था। इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19 दिनांक 04.02.2013 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को सूचित किया गया था। जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी से पत्र संख्या 197/डीएमसी दिनांक 6.3.13 द्वारा सूचित किया कि दिनांक 01.07.2012 से 31.1.2013 तक ₹163188/–का भुगतान श्री जगदीश चन्द पुत्र गरीबू राम को वेतन के रूप में किया गया था जिसकी वसूली कर्मचारी की ग्रैच्यूटी एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण के समय पर ली जाएगी। वसूली का विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ञ"** में दिया गया है। यह अनियमितता परिषद प्रशासन के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(2) नगर परिषद में कार्यरत्त Tax attendents को गलत वेतन मान देने के फलस्वरूप ₹125856/–का अधिक भुगतानः–

नगर परिषद डलहौजी मै तैनात Tax attendents क्रमशः श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र श्री पच्छम राम, श्री जरम सिंह पुत्र श्री शिवो राम एवं श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द की

सेवा पुस्तिकाओं की जांच के दौरान पाया कि इनकी नियुक्तियां नियुक्ति क्रमशः पत्र संख्या 476, 481 एवं 486 दिनांक 21.8.2007 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद डलहौजी द्वारा वेतन मान ₹2720–4260 में दी गई थी जबकि सरकारी अधिसूचना संख्या U/D–A (3) 4/99 दिनांक 22.7.05 शहरी विकास निभाग, हि0प्र0 सरकार के क्रय संख्या 15 के अनुसार Tax attendents का वेतन मान ₹2520–4140 with initial Start ₹2620/– दर्शाया गया था अर्थात इन कर्मचारियों को वेतन के रूप में 22.8.2007 से 31.1.2013 तक ₹125856/–का अनुचित भुगतान किया गया विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट (ट)** में दिया गया। इस बारे कार्यकारी अधिकारी स्थिति स्पष्ट करने एवं अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23 दिनांक 16.02.2013 द्वारा सूचित किया गया था जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या 196/डी0एम0सी0 दिनांक 06.03.2013 द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त वर्णित Tax attendents को गलत वेतनमान दे दिया गया था। अतः अधिक किए गए भुगतान कि वसूली ₹125856/–(41952X3) सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से ₹1000/–प्रतिमाह किश्त के रूप में कर ली जाएगी। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है व कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(3) गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री सुदर्शन कुमार (वन गार्ड) से ₹63420/–की वसूली करने बारेः–

श्री सुदर्शन कुमार (वन गार्ड) की सेवा पुस्तिका की जांच करने पर पाया कि श्री सुदर्शन कुमार की पदोन्नति दिनांक 01.02.1982 को वन गार्ड के रूप में वेतन मान ₹3120–5160 में की गई थी। इसके उपरान्त दिनांक 1.2.1990, 1.2.1998 एवं 1.2.2006 को क्रमशः 8, 16 एवं 24 वर्ष पूरे करने पर ACPs के अन्तर्गत वेतन वृद्धियां दी गई थी। दिनांक 01.01.2006 में हुए वेतन संशोधन में वेतन निर्धारण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई जिसके कारण श्री सुदर्शन कुमार को दिनांक 01.01.2006 से 31.01.2013 तक ₹63420/–का अनुचित/अधिक भुगतान किया गया था। इसका ब्यौरा परिशिष्ट "ठ" में दिया गया है।

Basic Pay on 01.01.2006 ₹6000 in the pay scale of `3120-6200

Period	**Due (3120&6200) Table -5**	**Drown (`4020-6200) Table-7**
1.1.2006	13110	17560
1.2.2006	13510	13970

(ACP-24 year)

1.2.2006	13920	14390
1.2.2007	14340	14830
1.2.2008	14770	15280
1.2.2009	15220	15740
1.2.2010	15680	16220
1.2.2011	16150	16710
1.2.2012	16640	17220

उपरोक्त अनियमितता की जानीकारी कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनांक 06.03.2013 द्वारा दी गई थी। इसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 199/डी0एम0सी0/ दिनांक 07.03.2013 द्वारा सचित किया कि निर्धारण में गलती से ₹63420/–की राशि का श्री सुदर्शन कुमार को अवधि 1.1.2006 से 31.1.2013 तक का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली श्री सुदर्शन कुमार के ग्रैच्युटी एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण से कर ली जाएगी क्योंकि श्री सुदर्शन कुमार की सेवानिवृति दिनांक 31.3.2013 को तय है। अतः ₹63420/–की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाए।

(4) गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री राजिन्द्र कुमार, (कनिष्ठ सहायक) को ₹38645/– का अधिक भुगतानः–

श्री राजिन्द्र कुमार (कनिष्ठ सहायक) की सेवा पुस्तिका की जांच के दौरान पाया कि श्री राजिन्द्र कुमार का मूल वेतन दिनांक 31.12.2005 को ₹6600/–(वेतन मान 5400–8925) था जो कि दिनांक 1.1.2006 को वेतन संशोधन पर ₹15880/– (Table-11) अनुसार होना था जबकि सेवा पुस्तिका में ₹16250/–दर्शाया गया परिणामस्वरूप ₹38645/–का अनुचित अधिक भुगतान किया गया। जिसकी जानकारी कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32 दिनांक 6.3.2013 द्वारा दी गई थी। इस सन्दर्भ में 20.3.2013 द्वारा सूचित किया कि श्री रविन्द्र कुमार के गलत वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 1.1.2006 से 31.3.2012 तक ₹38645/–का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है जिसकी वसूली श्री राजिन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से कर ली जाएगी। अतः ₹38645/– अनियमित किए गए भुगतानों की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से

अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं दिनांक 31.3.2012 के पश्चात भी अगर कोई वसूली बनती हो तो उसे भी वसूलना सुनिश्चित करें।

(5) सेवा पुस्तिका उपलब्ध न करवानाः—

अंकेक्षण के दौरान श्रीमती राखी मुंगा, कार्यकारी अधिकारी, की सेवा पुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण इसकी जांच नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण में सेवा पुस्तिका निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें।

16 पैन्शनः—

(1) वित्तीय स्थितिः—

नगर परिषद डलहौजी के पैन्शन फण्ड की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है। विस्ततृ विवरण **परिशिष्ट "ढ"** में दिया गया है।

Financial Year	Opening Balance	Pension Share	Interst	Bansfer for Developmwent Fund	Total	Exp.	Closing Balance
2010-11	149231.38	1527144	6495	350000	2032870.38	2020851	12019.38
2011-12	12019.38	2255442	3019	-	2270480.38	2261717	8763.38
		Balance as per cash book as on 31.3.2012					8763.38
		Balance as per pass book as on 31.3.2012					8763.38
		Bank A/C No. SBI 11321777797					
				Difference	शून्य		

(2) अर्जित अवकाश के नकदीकरण में श्री बद्री नाथ (मिस्त्री) को ₹901/—का अधिक भुगतानः—

श्री बद्री नाथ, पैन्शनर की सेवा पुस्तिका की जांच करने पर पाया कि दिनांक 10.9.2007 से 31.12.07 तक 8 दिन के अर्जित अवकाश के स्थान पर 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। श्री बद्री नाथ की सेवा निवृति दिनांक 31.7.2011 को हुई थी एवं सेवानिवृति को इनके खाते में कुल 113 दिन अर्जित अवकाश के रूप में जमा थे जबकि इन्हें भुगतान 115 दिन का किया था अर्थात 2 दिन का ₹901/—(8550B.P+4959DAx2/30) का अनुचित अधिक भुगतान किया गया। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

17 सामान्य भविष्य निधिः—

(1) सामान्य भविष्य निधि खातों को सत्यापित न करनाः—

सामान्य भविष्य निधि खातों की जांच के दौरान पाया कि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा खाते का नियमित सत्यापित नहीं किया गया था। अतः प्रत्येक कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते का नियमित सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

(2) सामान्य भविष्य निधि खाते की रोकड़ वही तैयार न करनाः—

जांच के दौरान पाया कि सामान्य भविष्य निधि खाते की रोकड़ वही तैयार नहीं की गई थी जिस कारण से सामान्य भविष्य निधि की सही वित्तीय स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ वही शीध्र अतिशीध्र तैयार करना सुनिश्चित करें।

18 भण्डारः—

(1) स्थाई सामग्री की प्रविष्टियां भण्डारण रजिस्टर में अव्यावस्थित तरीके से करने बारेः—

स्थाई भण्डार रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि इस रजिस्टर में नगर परिषद की सभी स्थाई सामग्री को अव्यवस्थित तरीके से प्रविष्टियां की जा रही है अर्थात अलग—2 प्रकृति की सामग्री को अलग—2 पृष्ठ में न दिखाकर एक ही पृष्ठ में प्रविष्टि कर दी जाती है जो कि HPFR के नियम 15.10 के विरूद्ध है। उदाहरण स्वरूप Moveable stock register के पृष्ठ संख्या 5 में Plastic Bucket ₹29.50/- Swaraj Mazda Truck ₹175991.64 steel office chairs 10 Nos @`3600/- Foot Mat ₹365/- इत्यादि अलग—2 प्रकृति एवं अलग—2 मूल्य की सामग्री को प्रविष्टि किया गया था एवं कुल सामग्री के स्थान को खाली रखा गया था जिससे यह पता नहीं लगाया जा सका कि नगर परिषद के पास एक निश्चित वस्तु की कितनी मात्रा है। अतः HPFR के निमयम 15.10 के अनुसार अलग—2 प्रकृति की सामग्री को अलग—2 पृष्ठ में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। ताकि समय—2 पर स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर एक नजर से पता लगाया जा सके कि स्टॉक में कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में शेष है।

(2) स्थाई प्रकृति की सामग्री को भण्डार रजिस्टर से निर्गीमत करने बारेः—

विभिन्न भण्डार रजिस्टरों की जांच करने पर पाया कि स्थाई प्रकृति की सामग्री भण्डार रजिस्टर से जारी करके शेष सामग्री शून्य कर दी गई है जो कि अनुचित हैं। उदाहरण के तौर पर ब्यौरा इस प्रकार हैः—

Sr. No.	Material	Bill No.	Stock Register	Quantity	Balance
1	Garbage Container	9559/26.7.2011 m/S Aar Kay Steel Industry chamba	T&P Register P-89	10 Nos @29500 each `29500	Nil
2	Victoria Beanch 5" Long	9559/26.7.2011 m/S Aar Kay Steel Industry chamba	Public health stock Register P-96	10 Nos @ 6900 `69000/-	Nil
3	Garbage Container	9607/26.08.2011 M/S Aar Kay Steel Industry Chamba	T&P Register P-89	5 Nos @ 29500 each `147500	Nil

अतः स्थाई प्रकृति की सामग्री का भण्डार रजिस्टर से निर्गमन न करके कुल सामग्री दर्शाना सुनिश्चित करें ताकि पता चल सके कि एक निश्चित तिथि को नगर परिषद के पास किसी सामग्री की कितनी मात्रा है।

(3) वन सम्पदा रजिस्टरः–

वन उत्पाद रजिस्टर की जांच पर पाया कि निम्नलिखित विभिन्न आकार एवं प्रकृति की ईमारती लकड़ी नगर परिषद की दुकानों की मुरम्मत के लिए जारी की गई थीः–

क्र0सं0	इमारती लकड़ी	दिनांक	पृष्ठ	मात्रा
1	Deodar Wood	29.10.2011	51	64.50
2	Deodar Dole	1.12.2010	55	13 Nos
3	Fir Gole	1.4.2010	59	6 nos

जबकि दुकानों के अनुबन्धों की जांच के दौरान पाया कि दुकानों की मुरम्मत नगर परिषद द्वारा करने का कोई प्रावधान नही था। अतः यह दुकानदारों को प्रदान किया गया अनुचित लाभ था। इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34 दिनांक 15.3.2013 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को सूचित किया था लेकिन इसका कोई उत्तर अंकेक्षण के दौरान नहीं दिया गया। अतः दुकानों की मुरम्मत हेतु जारी की गई उक्त इमारती लकड़ी बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा लकड़ी के मूल्य की वसूली सम्बन्धित दुकानदारों से करना सुनिश्चित करें।

(4) हिमाचल प्रदेश वन निगम के पास नगर परिषद की बकाया राशि की जानकारी उपलब्ध न करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया कि lot No. 3/2009-10 द्वारा निम्नलिखित लकड़ी हिमाचल प्रदेश वन निगम को विक्रय की गई थीः—

क्र0सं0	**लकड़ी**	**पैड़ों की सं0**	**लकड़ी की मात्रा**
1	Deodar	293	265 Cum
2	Fir	166	312.75 Cum
3	Chil	6	5.38 Cum
4	Dak	15	21.59 Cum
	कुल	**480**	**604.72**

इस Lot के विक्रय के बदले में हिमाचल प्रदेश वन निगम ने ₹2240000/—पत्र संख्या HPSFDC/CBA/WKS/3527.28 दिनांक 25.9.2010 द्वारा नगर परिषद को भुगतान की थी। लेकिन उपरोक्त वर्णित लीट के कुल विक्रय मूल्य का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। अतः इसका कुल मूल्य एवं बकाया राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाए ताकि विक्रय की गई लकड़ी की प्राप्त राशि की सत्यता की पुष्टि की जा सके। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004—05 से वर्ष 2008—09 तक के पूरे Lots का विक्रय मूल्य एवं बकाया राशि का पूर्ण ब्यौरा आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(5) स्ट्रीट लाईट का रख रखाव सुनियोजित तरीके से न रखने बारेः–

परिषद के स्ट्रीट लाईट रजिस्टर की जांच करने पर अंकेक्षण में पाया कि रजिस्टर का रखाव नियमानुसार उचित प्रकार से नहीं किया गया था जिससे अभाव के कारण यह पुष्टि नहीं हो सकी कि नगर परिषद के पास कुल कितनी स्ट्रीट लाईटस की संख्या है और न ही प्रत्येक स्ट्रीट लाईटस को अलग से नम्बर दिया गया है। अतः स्ट्रीट लाईटस के रख रखाव पर प्रत्येक वर्ष भारी व्यय किया जा रहा है। इस व्यय की राशि को न्याय संगत बनाने के लिए प्रत्येक स्ट्रीट लाईटस के लिए अलग–2 नम्बर दिये जाये एवं प्रत्येक स्ट्रीट लाईट के रख रखाव पर खर्चे का ब्यौरा एक अलग रजिस्टर में अलग–2 रखा जाये ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके। एक स्ट्रीट लाईट के रख रखाव पर कितनी सामग्री कितनी वार बदली गई एवं प्रत्येक स्ट्रीट लाईटस के रख रखाव पर पूरा नियन्त्रण रखा जा सके। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट लाईट के रख रखाव के लिए खरीद गई सामग्री को किसी भी सक्षम अधिाकरी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। अतः स्ट्रीट लाईटस रजिस्टर में दर्ज क्रय का निर्गमन के पश्चात शेष सामग्री की मात्रा को सक्षम अधिाकरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(6) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर परिषद के भण्डारण रजिस्टर में दर्शाई गई सामग्री को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था। यह एक गम्भीर अनियमितता है जबकि हिमाचल प्रदेश वित नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टोर एवं स्टॉक के सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमानुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अविलम्ब स्टॉक का भौतिक सत्यापन कम से कम वार्षिक आधार पर सुनिश्चित की जाए उसके परिणामों से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

19 लधु आपत्ति विवरणः–

लधु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर दिया गया। अतः इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

20 निष्कर्षः–

लेखाओं में अधिक सुधार की आवश्यकता है। अतः गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैराग्राफ निपटाने, भण्डार रजिस्टर के ठीक रख रखाव एवं नगर परिषद के प्रत्येक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित करने की और उचित ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0(एच(2)सी V (105)/2012 खण्ड –1-6022-6023 दिनांक 12.09.2013, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद डलहौजी़, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेशित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेशित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट "ण"

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/61 से 3/62

1	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/65 से 3/66

1	पैरा–12	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/75 से 3/80

1	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
2	पैरा–19 (14)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/87

1	पैरा–9 (V)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (VI)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (XXV)	अनिर्णीत
4	पैरा–13	अनिर्णीत
5	पैरा–14 (C)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/89

1	पैरा–3 C (ii)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (A)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (VI)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/92

1	पैरा–7	निर्णीत	पत्र संख्या 429–SCI-58/21158 दिनांक 14.3.1958 के अनुसार 29.1.1958 के पश्चात निर्मित भवनों के उपर ग्रह कर की राशि आगामी 3 वर्षों तक न वसूलने का निर्णय लिया गया था। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया।
2	पैरा–8 (ख)	आंशिक निर्णीत	
3	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8 (ङ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–8 (त)	अनिर्णीत	
6	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/2002

1	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (11)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (15)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (1) (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (1) (3)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (2) (1)	अनिर्णीत

12	पैरा–12 (2) (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–12 (2) (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा–12 (3) (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत	
16	पैरा–13 (3)	अनिर्णीत	
17	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत	
18	पैरा–14	अनिर्णीत	
19	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत	
20	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1	पैरा–2 (i)	अनिर्णीत	
2	पैरा–2 (ii)	अनिर्णीत	
3	पैरा–2 (iv)	अनिर्णीत	
4	पैरा–3	अनिर्णीत	
5	पैरा–4 (ii)	निर्णीत	जी–8 1/33 से 1/37 तक की नं0प0 चम्बा की पावती देखने के उपरान्त पैरे का निपटारा किया।
6	पैरा–4 (iii)	अनिर्णीत	ग्रह कर, जल कर, सफाई कर एवं भवन व दुकानों के किराये की नवीनतम स्थिति कर दी है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया गया।
7	पैरा–4 (v)(i)	अनिर्णीत	
8	पैरा–4 (v)(ii)	अनिर्णीत	
9	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत	
10	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत	
11	पैरा–4 (ix)	अनिर्णीत	
12	पैरा–4 (x)	अनिर्णीत	
13	पैरा–4 (xi) (xiv)	अनिर्णीत	

14	पैरा–5 (III)	अनिर्णीत	
15	पैरा–5 (ix)	अनिर्णीत	
16	पैरा–5 (xii)	अनिर्णीत	
17	पैरा–5 (xiii)	अनिर्णीत	
18	पैरा–5 (xiv)	अनिर्णीत	
19	पैरा–5 (xv)	अनिर्णीत	
20	पैरा–5 (xvi)	अनिर्णीत	
21	पैरा–5 (xix)	अनिर्णीत	
22	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत	
23	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत	
24	पैरा–6 (iii)	निर्णीत	₹800/–की वसूली जी–8 31/36 दिनांक 27.2.13 द्वारा कर ली गई है।
25	पैरा–6 (v)	अनिर्णीत	
26	पैरा–6 (vii)	अनिर्णीत	
27	पैरा–6 (xi)	अनिर्णीत	
28	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत	
29	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत	
30	पैरा–7 (iii)	अनिर्णीत	
31	पैरा–7 (iv)	अनिर्णीत	
32	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत	
33	पैरा–8 (iii) (क)	अनिर्णीत	
34	पैरा–8 (iii) (ख)	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/10

1	पैरा–2.1	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹58200/–का बैंक ड्राफ्ट संख्या 632430 दिनांक 21.3.2013 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को प्रस्तुत कर दिया है।
2	पैरा–2.3	अनिर्णीत	

3	पैरा–3	निर्णीत	सूचनार्थ पैरा
4	पैरा–4.1	निर्णीत	ग्रह कर की बकाया राशि की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8.1 में प्रस्तुत कर दी गई है
5	पैरा–4.2	निर्णीत	किराये के बकाया राशि की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8.4 में प्रस्तुत कर दी गई है।
6	पैरा–4.3	अनिर्णीत	
7	पैरा–4.4	अनिर्णीत	
8	पैरा–4.5	अनिर्णीत	
9	पैरा–4.6	अनिर्णीत	
10	पैरा–4.7	अनिर्णीत	
11	पैरा–4.8	अनिर्णीत	
12	पैरा–4.9	अनिर्णीत	
13	पैरा–4.10	अनिर्णीत	
14	पैरा–4.11	निर्णीत	विकास निधि से निकाली गई राशि परिषद निधि से विकास निधि को हस्तांतरित कर दी गई।
15	पैरा–4.12	अनिर्णीत	
16	पैरा–4.13	अनिर्णीत	
17	पैरा–4.14	अनिर्णीत	
18	पैरा–4.15	अनिर्णीत	
1'9	पैरा–4.16	अनिर्णीत	
20	पैरा–4.17	अनिर्णीत	
21	पैरा–4.18	अनिर्णीत	
22	पैरा–4.19	निर्णीत	(1) पंजीकरण संख्या 77 के अनुसार सैट नं0 2 में श्री राकेश कुमार का टहराव दिनांक 12.3.08 से 7.4.08 तक था न की 6. 3.08 से 7.'4.08 तक अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया। (2) पंजीकरण संख्या 3 के अनुसार 17.4.08 से 19.4.09 तक के ठहराव की कुल राशि ₹1040/–बनती थी जिसका भुगतान अबदुल रसीद से R.No. 96/29 दिनांक 19.4.'08 ₹540 द्वारा

			प्राप्त कर समायोजन कर दिया।
23	पैरा–4.20	अनिर्णीत	
24	पैरा–5	अनिर्णीत	
25	पैरा–5.1	अनिर्णीत	
26	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
24	पैरा–5.3	निर्णीत	मस्टरोल नं0 82 एवं 83 की स्वीकृति कार्यकारी अधिकारी से प्राप्त कर ली गई थी एवं पत्र संख्या 14 दिनांक 18.12.2010 द्वारा कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणति किया गया था कि मुलखां पुत्र लभु राम एवं मुलख राज एक ही व्यक्ति है।
28	पैरा–5.4	अनिर्णीत	
29	पैरा–6	अनिर्णीत	
30	पैरा–6.1	निर्णीत	पत्र संख्या ULB-HCC(9)-25/95 दिनेशक, शहरी विकास दिनांक 9.4.'01 के अनुसार सरचार्ज 2**%** की दर से Stamp duty के उपर लिया जाना है न कि विक्रय मूल्य के उपर अतः stamp duty 440000 के मूल्य पर 22000 की लगाई गई थी। इसके उपर surcharge ₹440/–सही लिया गया था। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
31	पैरा–6.2	अनिर्णीत	
32	पैरा–6.3	अनिर्णीत	
33	पैरा–6.4	अनिर्णीत	
34	पैरा–6.5	अनिर्णीत	
35	पैरा–6.6	अनिर्णीत	
36	पैरा–6.7	निर्णीत	पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया।
37	पैरा–6.8	निर्णीत	₹585/–की वसूली इस प्रकार कर ली गई। 1 जी–8 89/41 दिनांक 21.3.13=75 2 जी–8 90/41 दिनांक 21.3.13=280 3 जी–8 92/41 दिनांक 21.3.13=80 4 जी–8 .93/41 दिनांक 21.3.13=150

38	पैरा–6.9	आंशिक निर्णीत	(1)वा0सं0 42 ऑफ 3/08 के अनुसार श्री कर्मचन्द से वसूली ₹223 के स्थान पर ₹18/–थी जिसकी वसूली जी–8, 87/41 दिनांक 21.3.2013 द्वारा कर ली गई। (2) वा0सं0 43 ऑफ 3/06 के अनुसार श्री मनोज कुमार से वसूली ₹355 के स्थान पर ₹12/–थी जिसकी वसूली जी–8 87/41 दिनांक 21.3.2013 द्वारा कर ली गई। (3) वा0सं0 46 ऑफ 7/09 के अनुसार श्री कर्मचन्द से 400 की वसूली जी–8 88/41 दिनांक 21.3.13 द्वारा कर ली गई। (4) वा0सं0 19 ऑफ 11/09 के अनुसार श्री रत्न चन्द से ₹398/–की वसूली जी–8 86/41 दिनांक 21.3.13 द्वारा कर ली गई।
39	पैरा–6.10	अनिर्णीत	
40	पैरा–6.11	निर्णीत	वा0सं0 17 दिनांक 4.2.07 द्वारा ₹8000/–के अग्रिम राशि के वाउचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए एवं जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया।
41	पैरा–6.12	अनिर्णीत	
42	पैरा–6.13	अनिर्णीत	
43	पैरा–6.14	अनिर्णीत	
44	पैरा–6.15	अनिर्णीत	
45	पैरा–6.16	अनिर्णीत	
46	पैरा–6.17	अनिर्णीत	
47	पैरा–6.18	अनिर्णीत	
48	पैरा–6.19	अनिर्णीत	
49	पैरा–6.20	अनिर्णीत	
50	पैरा–6.21	अनिर्णीत	
51	पैरा–6.22	अनिर्णीत	
52	पैरा–6.23	अनिर्णीत	

53	पैरा–6.54	अनिर्णीत	
54	पैरा–6.25	निर्णीत	सी0एफ0एल0 बल्ब व फीटिंग खरीदने के लिए बजट का प्रावधान, स्वीकृति टैन्डर प्रक्रिया एवं पुराने सरकारी प्वाईंट व टयूब लाईट प्वाईंट की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि देखने के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया।
55	पैरा–6.26	निर्णीत	भुगतान की पावतियां देखने के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया
56	पैरा–6.27	अनिर्णीत	
57	पैरा–6.28	निर्णीत	₹454825/–की वास्तविक पावती देखने के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया।
58	पैरा–6.29	अनिर्णीत	
59	पैरा–6.30	अनिर्णीत	
60	पैरा–7	अनिर्णीत	
61	पैरा–7.1	अनिर्णीत	
62	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
63	पैरा–7.3	अनिर्णीत	
64	पैरा–7.4	अनिर्णीत	
65	पैरा–7.5	अनिर्णीत	
67	पैरा–7.6	अनिर्णीत	
68	पैरा–7.7	अनिर्णीत	
69	पैरा–7.8	अनिर्णीत	
70	पैरा–7.9	अनिर्णीत	
71	पैरा–8	अनिर्णीत	
72	पैरा–8.1	अनिर्णीत	
73	पैरा–8.2	अनिर्णीत	
74	पैरा–8.3	अनिर्णीत	
75	पैरा–8.4	अनिर्णीत	
76	पैरा–9	अनिर्णीत	

Minor objection statement

(क) अवधि 7/58 से 3/59

1	पैरा–8 (A)	अनिर्णीत
2	पैरा–34	अनिर्णीत

(ख) अवधि 4/62 से 3/64

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–21	अनिर्णीत
5	पैरा–22	अनिर्णीत
6	पैरा–31	अनिर्णीत
7	पैरा–37	अनिर्णीत